न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट खिलौरा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस

मुकदमा नं0 3 / 20 / 18 निर्णय दिनांक : 12.06.2018

उनवान

1. धनबाई पत्नी मुकेश कुमार जर्ये ससुर बाबूलाल पुत्र अमरसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम खिलौरा तहसील रामगढ जिला अलवर।

...........................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

............अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 253, 258, 259, 260 वाके ग्राम खिलौरा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का प्रार्थी रिकोर्डेड कब्जे काश्त खातेदार है। जिस आराजी पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी की पैमाईश दिनांक 08.06.2017 को की जा चुकी है। परन्तु उस समय पत्थरगढी नही हुई थी। जिस पैमाईश व निशानदेही को पडौसी काश्तकार नही मानते है और परेशान करते है। अतिक्रमण कर दबाना चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 253, 258, 259, 260 वाके ग्राम खिलौरा तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश कर पत्थरगढी वो निशान देही सही माप से प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराने की कृपा करें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खिलौरा में दिनांक 12. 06.2018 को पेश हुई। प्रार्थी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में उपस्थित हुआ उसे सुना गया। तथा मौका पर्चा दिनांक 08.06.2017 द्वारा की गई पैमाईश का विवरण इस प्रकार है कि ग्रामवासियों एवं प्रार्थीगण के समक्ष ग्राम खिलौरा के आराजी खसरा नम्बर 253, 258, 259, 260 के चौमेडे से तरफ दक्षिण पूर्व का कोना तय किया गया। पूर्व की मेड से पश्चिम की ओर जरीब चलाकर मेड कायम की गई। उपस्थित मौतवीरान के हस्ताक्षर कराये गये।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खिलौरा में दिनांक 12.06.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थी की आराजी की पैमाईश दिनांक 08.06.2017 को की जा चुकी है। अतः प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात आधार पर प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 253, 258, 259, 260 वाके ग्राम खिलौरा तहसील रामगढ जिला अलवर की पत्थरगढी नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत खिलौरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)